मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 (अग्रहायण 10, 1939)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश शासन चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का अंतरिम प्रतिवेदन (अक्टूबर, 2015) एवं इस पर राज्य शासन का कृत कार्यवाही प्रतिवेदन तथा मध्यप्रदेश शासन चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का अंतिम प्रतिवेदन (जनवरी, 2017) एवं इस पर राज्य शासन का कृत कार्यवाही प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, कटनी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, सत्यपाल सिंह सिकरवार, दुर्गालाल विजय, सदस्य, चंबल संभाग में सिंचाई हेतु चंबल नहर का समुचित मात्रा में पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा संभाग में तेंदूपत्ता संग्राहकों को उचित मूल्य न दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा ड्रिप सामग्री वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, सुवासरा क्षेत्र के सीतामऊ जल आवर्धन योजना के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री तरूण भनोत, सदस्य, जबलपुर सहित प्रदेश के अनेक जिलों में नजूल भूमि में रहने वालों को भू-स्वामी का अधिकार न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य, प्रदेश में निराश्रित पेंशन बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री विजयपाल सिंह, सदस्य, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पन्ना में भ्रष्टाचार पर हुई एफ.आई.आर. में पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य, नागदा नगर स्थित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन न बढ़ाये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री अजय सिंह, सदस्य, रीवा स्थित इंजीनियरिंग महाविद्यालय की भूमि को अन्य संस्थाओं को दिये जाने की ओर राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, जालम सिंह पटेल, सदस्य, प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले में माहू कीट से धान की फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(12) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, ललितपुर-सतना-पन्ना-खजुराहो-सिंगरौली रेल लाईन हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, प्रदेश के विद्यालयों में अक्षर ज्ञान के चार्ट के नाम पर अवैध वसूली किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री तरूण भनोत, सदस्य, जबलपुर के बालसागर विस्थापितों को आवास हेतु राशि न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले में जॉब कार्डधारी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम सोडलपुर में वन विभाग द्वारा जबरन ट्रैक्टर जप्त किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य, सिंगरौली, सीधी जिले में विद्युत ट्रांसफार्मर जले होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, प्रदेश के कपास उत्पादकों को कपास का समर्थन मूल्य न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री दिनेश राय (मुनमुन), सदस्य, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ई-पंचायतों के संबंध में बनाए गए भवन की जर्जर हालत होने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री तरूण भनोत, सदस्य, जबलपुर के रमनगरा क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल स्थित चिकित्सालयों में मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया आदि बीमारियों का इलाज न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, इन्जी. प्रदीप लारिया, सदस्य, प्रदेश में कृषि भूमि नामांतरण के नये नियम से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले में मलेरिया एवं डेंगू की रोकथाम के उपाय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य, नागदा खाचरौद क्षेत्र में चम्बल नदी का प्रदूषित पानी पीने से निवासियों के विकलांग होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) श्री जयसिंह मरावी, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का तीसवां, इकतीसवां, बत्तीसवां एवं तैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री के.डी. देशमुख, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) सुश्री उषा ठाकुर, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के तिलकगंज वार्ड में रामसरोज के पीछे वाली गली में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(2) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम नागझिरी में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने,

(3) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम भगुवापुरा में अस्पताल खोले जाने,

(4) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम झींझन, अलीपुरा, बंजारी सहित अन्य ग्रामों में पुलिया एवं सी.सी. रोड का निर्माण किये जाने,

(5) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले की ग्राम पंचायत भादवामाता में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(6) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले के ग्राम अमरकोट में मुख्यमंत्री हाट बाजार योजनान्तर्गत स्थायी संरचना बनाये जाने,

(7) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम जारह सिंह का पुरा में प्राथमिक शाला हेतु भवन निर्माण किये जाने,

(8) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के वेलौही प्रपात को विकसित कर पर्यटक स्थल बनाये जाने,

(9) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम तेन्दूखेड़ा में शासकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं कला संकाय प्रारंभ किये जाने,

(10) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले की ग्राम पंचायत जरहा के वार्ड न. 09 में हैण्डपंप खनन किये जाने,

(11) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य, शहडोल जिले के गेरूहा नाला से नौदिया मौहार टोला तक प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण किये जाने,

- 3 -

(12) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, भोपाल शहर के भेल उपनगर में सेंट पॉल स्कूल एवं आनंद नगर के मध्य नाले की पुलिया पर रेलिंग लगाये जाने,

(13) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम फतेहपुर में हाई स्कूल भवन की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने,

(14) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम कोरजा से बोदा तथा ठेमा से दीपुर पहुंच मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण किये जाने,

(15) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम नारायणपुरा के प्राथमिक शाला की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने,

(16) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम कुसमी मानगढ़ में माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(17) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले की तहसील चाँचौड़ा स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई.टी.आई.) में स्टॉफ व फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने,

(18) कुं. विक्रम सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम खजवा में कुटने पोषक बांध से पानी की पाईप लाईन डालकर पानी प्रदाय किये जाने,

(19) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम गांवड़ी के पास ईडर नदी के लोंडी नाले पर स्टाप-डेम बनाये जाने,

(20) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम टिकारी से नरेला तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(21) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम जवा के शासकीय कन्या हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(22) पं. रमाकान्त तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम बड़ागाँव के शास. पूर्व माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(23) श्री अनिल जैन, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी स्थित वरूआ बांध राजापुर से जोगड नाला टेहरका तक विस्तार किये जाने,

(24) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम सिगटी नानकार को नईगढ़ी मुख्य मार्ग से जोड़े जाने,

(25) श्री संजय उइके, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम टिंगीपुर से बाहीटोला होकर बंजर नदी तक सड़क निर्माण किये जाने,

(26) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम बस्सैटा, डढ़वा सहित अन्य ग्रामों के खेतों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध किये जाने,

(27) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर, सदस्य, खण्डवा जिले के पंधाना से रूस्तमपुर मार्ग का पुनर्निर्माण किये जाने,

(28) श्री चेतराम मानेकर, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम जमदेही खुर्द से कान्हाढाना माहौली, रानीडोंगरी एवं जम्बाड़ा तक डामरीकृत सड़क बनाये जाने,

(29) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के सारंगपुर सिविल अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे एवं सोनोग्राफी मशीन स्वीकृत किये जाने,

(30) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम खोई से लाईखेड़ी मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(31) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम सिंहपुर छोटा से तेन्दूखेड़ा तक सड़क बनाये जाने,

(32) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम खोड़ेरा के तालाब में वान-सुजारा बाँध की नहर से जल भराव किये जाने,

(33) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के नरसिंहपुर संग्रहालय (म्यूजियम) का नाम राजकुमार गजराज सिंह जी संग्रहालय किये जाने,

(34) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम रतनपुरा में तालाब निर्माण किये जाने,

(35) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पटियन का पुरा व ग्राम कोटसिथरा के बीच में सोन नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(36) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम देवरी बरूर से ग्राम पिपरिया तक रोड निर्माण किये जाने,

(37) श्री नथनशाह कवरेती, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम इकलामा सानी से गोप तक प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण किये जाने,

(38) श्री राजेश सोनकर, सदस्य, इंदौर जिले के ग्राम मुण्डला बाग से पानोड तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(39) श्री नानाभाऊ मोहोड़, सदस्य, भोपाल शहर में होशंगाबाद रोड स्थित आशिमा मॉल के समीप से कटारा हिल्स तक सड़क पर स्ट्रीट लाईट लगाये जाने,

(40) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम रूँदकपुरा के मिडिल स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(41) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के ग्राम कुजरोद के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(42) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के जबासा-सुनारपुरा मार्ग में क्वारी नदी पर ग्राम महेवा के पास पुल का निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य.

30 मि. (1) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

1 घण्टा (2) श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 26 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

निर्धारित समय

(3) कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 27 सन् 2017) पर विचार किया जाए. **1 घण्टा**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(4) श्रीमती माया सिंह, नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 28 सन् 2017) पर विचार किया जाए. **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए.

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2017 (क्रमांक 29 सन् 2017) पर विचार किया जाए. **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(6) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 30 सन् 2017) पर विचार किया जाए. **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(7) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 31 सन् 2017) पर विचार किया जाए. **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(8) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 32 सन् 2017) पर विचार किया जाए. **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

अल्प वर्षा से फसलों के नष्ट होने, कृषि उत्पादों का समुचित मूल्य न मिलने, कृषि मजदूरों के पलायन आदि के कारण कृषि एवं कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, फुन्देलाल सिंह मार्को, आरिफ अकील, बाला बच्चन, सुखेन्द्र सिंह, जितू पटवारी, के.डी. देशमुख, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

8. अशासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 18 सन् 2017) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

9. अशासकीय संकल्प.

(1) श्री के.डी. देशमुख, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश की पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में शामिल कोहरी जाति को भारत सरकार की पिछड़ा वर्ग जाति की अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा राज्य शासन द्वारा की जाए.".

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

60 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि नगरीय निकायों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के करारोपण एवं विकास कार्यों की देख-रेख के लिए नियामक प्राधिकरणों का गठन किया जाए.

(3) श्री अरूण भीमावद, श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर एवं श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि –

(i) ट्रेन क्रमांक-19325/19326 इन्दौर-अमृतसर एवं ट्रेन क्रमांक 19053/19054 सूरत-मुज्जफरपुर एक्सप्रेस अप/डाऊन गाड़ियों का स्टापेज शाजापुर स्टेशन पर किया जाए,

(ii) भोपाल से खजुराहो आने तथा जाने वाली महामना एक्सप्रेस ट्रेन का स्टापेज खरगापुर रेल्वे स्टेशन पर किया जाए, तथा

(iii) ट्रेन क्रमांक 51673/51674 इटारसी-सतना एक्सप्रेस को पुन: प्रारंभ किया जाए.".

10. नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा.

श्री कैलाश चावला, सदस्य, दिनांक 6 मार्च, 2017 को राजस्व मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्रमांक 1687) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चर्चा उठाएंगे.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 30 नवम्बर, 2017